

3-10-12

326

203

200

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा म०प्र०



25-201

अशोक कुमार फतेल तनय केमला प्रसाद उम्र- 40 साल निवासी शंकरपुर तहसील
त्योथर जिलारीवा म०प्र०

===== वि० निरानीकर्ता

R-4172-II/12

बनाम

1:- सुनीता देवी पादव तनय रामदयाल पादव उम्र- 35 साल निवासी शंकरपुर
तहसील त्योथर जिलारीवा म०प्र०

2:- शासन म०प्र०

===== गैरनिरानीकर्ता/अनाधिक

अधिवक्ता श्री शांभूनाथ
शुक्ला द्वारा प्रस्तुत।
रीवा, दि. 3-8-2012

[Signature]
3-8-12

निरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार
त्योथर जिलारीवा म०प्र० प्रकरण क्रमांक-
31ए-12/2011-12 आदेश दिनांक 11.6.12

=====
निरानी अन्तर्गत धारा- 50 म०प्र० भू० रटो सं०
1959 ई०.
=====

[Signature]
मान्यवर,

निरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1:- पहकि आधीमस्थ न्यायालय का आदेश कागुम एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने के
कारण निरस्त किए जाने योग्य है ।

2:- पहकि आवेक द्वारा भूमि नम्बर 50/04 रकबा 30.80-80 स्थित ग्राम
शंकरपुर तहसील त्योथर जिलारीवा म०प्र० के भू० भूमिस्वामी पिपारे,
परवर्तिपां पति कुबसेन कौरह थे । आवेक सन 1989 में परवर्तिपां से भूमि
नं० 50/4 रकबा 30 एकड का अंश भाग रजिस्टर्ड क्रिय प्रत धारा क्रम
क्रिया था जिसका नामान्तरण अदि करमे पर आवेक की भूमि 50/08
रकबा 7.30 80 अंकित हुआ उसी के अनुसार बिक्री दिनांक से आवेक का कब्जा

क्रमशः 2.../पर

[Signature]
श्रीमान् राजस्व मण्डल

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R. 4172-II/12..... जिला..... सीवा.....

..... अशांक कुं पटेल विरुद्ध..... सुनीता देवी यादव.....

1	2	3
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री..... अशोक कुमार शुक्ला..... अधिवक्ता द्वारा यह न्याय तहसीलदार तहसील..... के प्रकरण क्रमांक 31/2-12/2011-12..... में पारित आदेश दिनांक 11.06.12..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर..... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 26.03.19..... को कलेक्टर..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	